



राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, मुख्यालय,
परिवहन मार्ग, चौमूं हाउस सर्किल, जयपुर
वित्त (नियम) विभाग (0141-2374671)


क्रमांक :- एफ4(13)/मु./वित्त/नियम/175/2022/ २३३

दिनांक:- 18-01-2022

कार्यालय आदेश

कार्यालय आदेश क्रमांक F.4(164)/Acctts/Rules/98/7357 दिनांक 25.08.98 एवं आदेश क्रमांक F4(13)Finance/Rules/172/2008/8211 दिनांक 17.11.2008 द्वारा निगम कार्मिकों को पांचवे एवं छठे वेतनमान के वेतन एवं भत्तों के एरियर (बकाया) राशि का भुगतान कार्मिकों के सेवानिवृत्त होने/मृत्यु होने पर ही किये जाने का निर्णय लिया गया था।

माह अगस्त 2021 तक सेवानिवृत्त हुए निगम कार्मिकों को उक्त राशि का भुगतान किया जा चुका है। उक्त आदेशों की निरन्तरता में निगम के सेवारत कार्मिकों को भी पांचवें एवं छठे वेतनमान के बकाया वेतन एवं भत्तों की राशि का भुगतान निगम संचालक मण्डल के अनुमोदन की प्रत्याशा में किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।



(संदीप वर्मा)
अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

क्रमांक :- एफ4(13)/मु./वित्त/नियम/175/2022/ २३३

दिनांक:- 18-01-2022

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक, रा.रा.प.प.निगम, मु0, जयपुर।
2. कार्यकारी निदेशक () रा.रा.प.प.निगम, मु0, जयपुर।
3. महा प्रबन्धक/संयुक्त महा प्रबन्धक () रा.रा.प.प.निगम, मु0, जयपुर।
4. उप महाप्रबन्धक/कार्यकारी प्रबन्धक() रा.रा.प.प.निगम, मु0, जयपुर।
5. उप महाप्रबन्धक (आई.टी) निगम के वित्त विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करावें।
6. निगम सचिव, रा.रा.प.प.निगम, मु0, जयपुर।
7. मुख्य उत्पादन प्रबन्धक/लेखाधिकारी के0का0.....।
8. मुख्य प्रबन्धक/प्रबन्धक (वित्त), रा.रा.प.प.निगम,।
9. रक्षित पत्रावली।


(वीना गुप्ता)
वित्तीय सलाहकार

IT/135
19/1/22